

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 31/2020 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2020/00029)

अनवान:


1. अग्रवाल पंचायत ट्रस्ट, गंगाशहर रोड, बीकानेर जरिये अध्यक्ष नन्दकिशोर अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल निवासी रानी बाजार, बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर बीकानेर।
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव बीकानेर।
3. तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

08.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को सुनाया गया।

  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर